

प्रेस विज्ञापित
थाना अहरौला

एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 31.10.2020 को अपराध की रोकथाम एवं वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन में आज दिनांक 31.10.2020 को उ०नि० प्रभातचन्द्र पाठक मय हमराह का० विश्वामित्र के देखभाल क्षेत्र जांच पेण्डिंग एहकमात तलाश वांछित अपराधी करते हुए गहजी चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक व्यक्ति ग्राम कटवा से कट्टा लिये बसही बाजार की तरफ कोई अपराध करने के नियत से जा रहा है इस सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय हमराह व मुखवीर को साथ लेकर गहजी पुलिया के पास पहुँचे तो कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया कि पुलिस वालों को देखकर तुरन्त मुड़कर भागना चाहा कि पुलिस टीम ने दौड़ाकर करीब 10 कदम की दूरी पर सड़क किनारे पकड़ लिया। पकड़े हुये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी गयी तो अपना नाम अमर गुप्ता s/o राजेन्द्र प्रसाद ग्राम गहजी इब्राहिमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष तथा जामा तलाशी से एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर हिरासत पुलिस ले कर थाना स्थानीय पर मु०अ०स 0 167/2020 धारा 3/25 AAAct पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

बरामदगी-

एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अमर गुप्ता s/o राजेन्द्र प्रसाद ग्राम गहजी इब्राहिमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्मचारीगणों का नाम-

1- उ०नि० प्रभातचन्द्र पाठक

2- का० विश्वामित्र

थाना-देवगाँव

पुलिस से अभद्रता व सरकारी कार्य में बाँधा डालने वाले अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.10.2020 को उ०नि० मेहरे आलम मय हमराह के साथ प्रा० पत्र की जांच में ग्राम कटौली कला (बहलोलपुर तिरौली) गये थे प्रा० पत्र की जांच के क्रम में आरोपी अखिलेश पुत्र बनवारी व प्रमेश पुत्र रामनाथ को बुलाया गया तो इन दोनों के साथ साथ लगभग 60-70 पुरुष व महिलाएँ आकर पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, गाली गुप्ता देते हुए विडियो बनाने लगे तथा पुलिस के जाने के रास्ते को घेर लिये थे तथा राजकीय कार्य नहीं करने दिए तथा कार्य में बाधा उत्पन्न किये जिसके सम्बन्ध में उ.नि. मेहरे आलम थाना देवगाँव आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 252/2020 धारा 147/341/353/504 भादवि बनाम 1. अखिलेश पुत्र बनवारी आदि 21 नफर तथा 40-50 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/गैंगेस्टर आदि से संबंधित अभियुक्तगणों को तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिये गये जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार द बिश दिया जा रहा था कि आज दिनांक 31.10.2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में नामित व्यक्ति छावनी लालगंज पर कहीं भागने की फिराक में किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं इस सूचना पर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर तत्काल पहुँचे तो दो व्यक्ति पुलिस को देखकर धीरे धीरे हटने लगे कि हमराही कर्म०गण की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम राम अवध पुत्र कल्पनाथ व दूसरे ने अपना नाम देवलास पुत्र स्व० बनवारी निवासीगण बहलोलपुर तिरौली थाना देवगाँव आजमगढ़ बताया अभियुक्तगणों को मु.अ.स. 252/2020 धारा 147/341/353/504 भादवि का वांछित अभियुक्त बताकर समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. राम अवध पुत्र कल्पनाथ
2. देवलास पुत्र स्व0 बनवारी निवासीगण बहलोलपुर तिरौली थाना देवगाँव आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 252/2020 धारा 147/341/353/504 भादवि

थाना मुबारकपुर

02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.10.2020 को थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण 1. दरबान राम पुत्र वासू राम निवासी गढवल थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़ 2. राजेन्द्र उर्फ गब्बर राजभर पुत्र लालू राजभर निवासी बिजरवा थाना मुबारकपुर जनपद- आजमगढ़ आदि 22 नफर व कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0-218/2020 धारा-147,341,188,269,336,427 भादवि पंजीकृत है।

दिनांक 30.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में उ.नि.राजेन्द्र कुमार हमराह द्वारा पर मु0अ0सं0-218/2020 धारा-147,341,188,269,336,427 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. दरबान राम पुत्र वासू राम निवासी गढवल थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़ 2. राजेन्द्र उर्फ गब्बर राजभर पुत्र लालू राजभर निवासी बिजरवा थाना मुबारकपुर जनपद- आजमगढ़ को ग्राम गुलउर बाजार से समय 15.20 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. दरबान राम पुत्र वासू राम निवासी गढवल थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़
2. राजेन्द्र उर्फ गब्बर राजभर पुत्र लालू राजभर निवासी बिजरवा थाना मुबारकपुर जनपद- आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-218/2020 धारा-147,341,188,269,336,427 भादवि

थाना दीदारगंज

पाक्सो एक्ट का अभियुक्त गिरफ्तार

दीदारगंज थाना क्षेत्र के वादी के लिखित तहरीर की वादी की भान्जी को बहला फुसलाकर भगा ले जाना बनाम कमलेश यादव पुत्र लालमन यादव सा0 आदममऊ थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ आदि 03 नफर के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/20 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत हुआ मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही से धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व धारा 376 भादवि व ¼ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया।

आज दि0 31/10/2020 को थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारीगण के देखभाल क्षेत्र देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी/वारन्टी क्षेत्र व उच्चाधिकारीगण द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अवैध शराब व अवैध शस्त्र की बरामदगी/गिरफ्तारी हेतु व त्योहार के दृष्टिगत क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 147/20 धारा 363,366,376, भा0द0वि0 व ¼ पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त कमलेश यादव उपरोक्त पुष्पनगर बाजार में वाहन का इन्तजार कर रहा है कही जाने के फिराक में है मुखबीर की बातों पर विश्वास कर मंशा से हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराके थानाध्यक्ष मय हमराही कर्मचारीगण के प्रस्थान कर छिपते छिपाते पुष्पनगर बाजार के पहले पहुँचे कि मुखबीर ने रुक कर पुलिस टीम को रोक दिया और सामने खड़े व्यक्ति के ओर इशारा करके चला गया कि थानाध्यक्ष हमराही कर्मचारीगण के मदद से उक्त व्यक्ति को आवश्यक बल का प्रयोग कर पकड़ लिया गया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो अपना नाम कमलेश यादव पुत्र लालमन यादव सा0 आदममऊ थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया, कमलेश उपरोक्त को मु0अ0सं0 147/20 धारा 363,366,376, भा0द0वि0 व ¼ पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST एक्ट का बोध कराकर समय 07.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 147/20 धारा 363,366,376, भा0द0वि0 व ¼ पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

कमलेश यादव पुत्र लालमन यादव सा0 आदममऊ थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

थाना-फूलपुर

लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दि 30.10.2020 को फूलपुर थाना क्षेत्र की प्रार्थिनी द्वारा उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र दिया कि गाँव के ही साहिल उर्फ मुन्ना पुत्र अलीजान द्वारा प्रार्थिनी को मोबाइल से फोन कर परेशान करते रहना तथा दिनांक 29.10.2020 को समय करीब साढ़े ग्यारह बजे रात्रि प्रार्थिनी जब अपने छत पर अकेली सोई थी तभी शाहिल उर्फ मुन्ना पुत्र अलीजान द्वारा छत पर आकर प्रार्थिनी के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल की । तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 263/2020 धारा 376 ,506 भादवि बनाम शाहिल उर्फ मुन्ना पुत्र अलीजान निवासी अम्बारी थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्ब0 अभि0 साहिल उर्फ मुन्ना पुत्र अलीजान निवासी अम्बारी थाना फूलपुर आजमगढ़ को अम्बारी चौराहे से आज दिनांक 31.10.20 को समय करीब 06.30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 263/2020 धारा 376 ,506 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

शाहिल उर्फ मुन्ना पुत्र अलीजान निवासी अम्बारी थाना फूलपुर जिला आजमगढ़

थाना-फूलपुर

एक नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

दि 30.10.2020 को शोभनाथ पाण्डेय पुत्र हरहि प्रसाद साकिन दुर्वाषा थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र दिये जिसमें अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा से व राड से लैस होकर गाली गलौज देते हुये जान से मारने की नियत से मारने पीटने ,जिससे वादी का मौके पर बेहाश हो जाने व धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किये थे तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 265/2020 धारा 147,323,325,307,308 , 504, 506 भादवि बनाम सोनू पाण्डेय पुत्र कालेन्द्र पाण्डेय आदि पंजीकृत किया गया था।

उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराहियान द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्ब0 अभियुक्ता डिम्पल उर्फ आरसी पाण्डेय पुत्री कालेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम दुर्वाषा पड़ौली थाना फूलपुर आजमगढ़ उसके घर से समय करीब 8.25 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 265/2020 धारा 147,323,325,307,308, 504, 506 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

डिम्पल उर्फ आरसी पाण्डेय पुत्री कालेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम दुर्वाषा पड़ौली थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

गैग्रेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.10.2020 को थाना स्थानीय पर अभियुक्त परमजीत चौहान पुत्र स्व. दीपचन्द चौहान निवासी भलुवई थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आदि 11 नफर के विरुद्ध मु0अ0सं0- 230/2020 धारा- 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 31.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा पर मु0अ0सं0- 230/2020 धारा- 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त परमजीत चौहान पुत्र स्व. दीपचन्द चौहान निवासी भलुवई थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को समय 11.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 230/2020 धारा- 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

परमजीत चौहान पुत्र स्व. दीपचन्द चौहान निवासी भलुवई थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़